

अभिलेख उपस्थापित।

ओवदक (1.) विनोद कुमार, (2.) जगदेव कुमार वर्मा एवं (3.) उषा देवी द्वारा आवेदन-पत्र समर्पित कर सूचित किया गया है कि आवेदन में भूमि का कुछ प्लॉट छुट गया है। फलस्वरूप इसे रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

अतः आवेदकगण के आवेदन-पत्र के आलोक में वाद संख्या 28(A)/2022 को रद्द किया जाता है।

अपर समाहर्ता, दफ्तरीभाग।